

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्था/ 2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती लीला जैन, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छितोली, जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुधपुरा जिला बून्दी किया गया था जिसके विरुद्ध श्रीमती लीला जैन द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4594/2019 श्रीमती लीला जैन बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4594/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2019 द्वारा अपिलार्थी श्रीमती लीला जैन को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में 15 दिवस में सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपिलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के सास ससुर की अधिक आयु व चलने फिरने में असमर्थ होने, स्थानांतरित स्थान की दूरी 400 कि०मी० होने के कारण स्वयं का स्थानांतरण/समायोजन अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, निवाई, राउमावि पहाड़ी, निवाई, राउमावि जोधपुरीयाँ, निवाई, राउमावि मेंदवास, टोक, राउमावि फागी, जयपुर या राउमावि, सिकन्दरा, दौसा में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपिलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशानिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन का मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अपिलार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपिलार्थी श्रीमती लीला जैन, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जा कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।


(हिमांशु गुप्ता)


आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/श्रीमती लीला जैन/4594/2019 दिनांक: 21/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)